दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 09-07-2026

विषय सूची

भारत–न्यूज़ीलैंड संबंध

साइबर, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया–भारत साझेदारी (PACTS)

वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्तकर्ताओं में भारत 11वें स्थान पर पहुँचा

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन

भारत का खिलौना पारितन्त्र

संक्षिप्त समाचार

प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक (PGI) 2.0

हम्मस ट्रेल

गुवाहाटी घोषणा

भूल जाने का अधिकार (Right to Be Forgotten) क्या है?

पिनाका दीर्घ दूरी निर्देशित रॉकेट (LRGR)

अस्त्र मिसाइल

डूरंड कप

भारत–न्यूज़ीलैंड संबंध

सन्दर्भ

- न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री ने बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारत और न्यूज़ीलैंड के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बदलता वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य

- न्यूज़ीलैंड ने वर्तमान वैश्विक स्थिति को एक **"निर्णायक मोड़ (Inflection Point)"** बताया, जहाँ विश्व नियम-आधारित व्यवस्था से शक्ति-आधारित व्यवस्था की ओर तथा मुख्यतः बहुपक्षीय ढाँचे से अधिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

अनेक प्रमुख वैश्विक चुनौतियों को रेखांकित किया गया, जैसे—

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता सामरिक प्रभाव।
- रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण से उत्पन्न संघर्ष।
- वैश्विक मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएँ।
- न्यूज़ीलैंड के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से छोटे देशों को विशेष लाभ मिला है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम छोटे और बड़े सभी देशों पर समान रूप से लागू हों।

उन्होंने भारत–न्यूज़ीलैंड संबंधों के तीन प्रमुख स्तंभ भी बताए—

- रक्षा सहयोग,
- सुरक्षा सहयोग,
- जन-से-जन (People-to-People) संबंध।

भारत–न्यूज़ीलैंड संबंध

1. कूटनीतिक संबंध

- भारत और न्यूज़ीलैंड ने 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- दोनों देश राष्ट्रमंडल (Commonwealth) के सदस्य हैं तथा लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन के सिद्धांतों को साझा करते हैं।
- न्यूज़ीलैंड ने 2011 में अधिसूचित अपनी **'ओपनिंग डोर्स टू इंडिया' (Opening Doors to India) नीति** में भारत को प्राथमिकता वाला देश घोषित किया, जिसकी 2015 में पुनः पुष्टि की गई।

2. आर्थिक सहयोग

- वर्तमान में न्यूज़ीलैंड, ओशिनिया क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- 2024 में न्यूज़ीलैंड का आयात 47 अरब अमेरिकी डॉलर तथा निर्यात 42 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

3. सेवा व्यापार (Services Trade):

- वर्ष 2024 में न्यूज़ीलैंड को भारत का सेवा निर्यात 13% बढ़कर 634 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

इसके प्रमुख क्षेत्र हैं—

- यात्रा,
- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी),
- व्यावसायिक सेवाएँ।
- 2024–25 में भारत का न्यूज़ीलैंड को निर्यात, न्यूज़ीलैंड से आयात की तुलना में अधिक रहा, जिससे भारत का सकारात्मक व्यापार संतुलन (Trade Balance) बना रहा।
- भारत और न्यूज़ीलैंड ने भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (IN–NZ FTA) पर हस्ताक्षर किए।

4. सीमा शुल्क सहयोग:

- वर्ष 2024 में न्यूज़ीलैंड और भारत ने सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था (Customs Cooperative Arrangement)

पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध सहयोग को बढ़ाना है।

5. प्रवासी भारतीय

- न्यूज़ीलैंड में 2,92,092 भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं।
- न्यूज़ीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के सबसे बड़े स्रोत देशों में भारत दूसरा स्थान रखता है।
- वर्तमान में लगभग 8,000 भारतीय विद्यार्थी न्यूज़ीलैंड में सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा वास्तुकला जैसे विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- हिंदी, न्यूज़ीलैंड में पाँचवीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।

6. रक्षा सहयोग

- वर्ष 2025 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन (MoU) ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए एक औपचारिक संस्थागत ढाँचा प्रदान किया।
- प्रथम भारत–न्यूज़ीलैंड रक्षा सामरिक संवाद वर्ष 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

संबंधों में चुनौतियाँ

आव्रजन एवं मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से जुड़ी चिंताएँ

- न्यूज़ीलैंड की हालिया आव्रजन नीति पर हुई बहसों से भारत में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। आरोप हैं कि नए नियम भारतीय प्रवासियों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- श्रमिक गतिशीलता (Labour Mobility) को लेकर मतभेद, व्यापक भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने में प्रमुख चुनौती बने हुए हैं।

डेयरी बाज़ार तक पहुँच का विवाद

- व्यापार वार्ताओं में डेयरी क्षेत्र सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।
- न्यूज़ीलैंड भारत के डेयरी बाज़ार में अधिक पहुँच चाहता है, जबकि भारत लाखों छोटे डेयरी किसानों के हितों की रक्षा करता है।

खालिस्तान मुद्दा

- भारत ने न्यूज़ीलैंड में खालिस्तान समर्थक समूहों की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है।
- भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित न्यूज़ीलैंड के दृष्टिकोण में मतभेद हैं।

आगे की राह

- भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और न्यूज़ीलैंड के हित लोकतंत्र, व्यापार, सुरक्षा तथा स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में समान हैं।
- ऐसे समय में, जब वैश्विक संस्थाएँ अनेक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, दोनों देशों के बीच अधिक सशक्त साझेदारी अधिक समावेशी, न्यायसंगत तथा नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है।

स्रोत: IE, MEA

साइबर, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया–भारत साझेदारी (PACTS)

सन्दर्भ

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया–भारत साझेदारी (PACTS) का शुभारंभ किया।

परिचय

- यह रूपरेखा वर्ष 2020 की साइबर सहयोग व्यवस्था का स्थान लेगी।

PACTS पाँच प्रमुख सहयोग क्षेत्रों पर आधारित है—

- **आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता**: दोनों देश विश्वसनीय प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं, सेमीकंडक्टर सहयोग, महत्त्वपूर्ण खनिजों, समुद्र के भीतर बिछी संचार केबलों की सुरक्षा तथा व्यापार विविधीकरण पर कार्य करेंगे।
- **महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ**: इस साझेदारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियाँ, दूरसंचार, जैव-प्रौद्योगिकी तथा उन्नत पदार्थ

शामिल हैं। इसमें अनुसंधान सहयोग तथा सुरक्षित एवं संरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कार्य भी शामिल है।

- **साइबर सुरक्षा**: दोनों देश साइबर अपराध से निपटने, महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा, साइबर कूटनीति को सुदृढ़ करने, साइबर सुरक्षा निवेश का विस्तार करने तथा साइबर कौशल विकसित करने में सहयोग करेंगे।
- **डिजिटल सुदृढ़ता**: दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) मॉडल को बढ़ावा देंगे तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और संपर्क जैसे क्षेत्रों के लिए डिजिटल समाधानों पर कार्य करेंगे।
- **रक्षा अनुसंधान सहयोग**: यह रूपरेखा संयुक्त रक्षा विज्ञान अनुसंधान, नवाचार साझेदारी, रक्षा अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग तथा समुद्री प्रौद्योगिकियों पर कार्य का प्रावधान करती है।

- **महत्व:**
  - यह रूपरेखा भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ उन प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कार्य करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है, जो आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगातार अधिक महत्त्वपूर्ण होती जा रही हैं।
  - यह सरकार, शैक्षणिक जगत तथा उद्योग के बीच संयुक्त अनुसंधान, निवेश, मानक विकास तथा प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए एक संरचित तंत्र भी प्रदान करती है।

भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंध : संक्षिप्त परिचय

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2009 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'सामरिक साझेदारी' से उन्नत कर 2020 में 'व्यापक सामरिक साझेदारी' का दर्जा दिया।
- **द्विपक्षीय तंत्रों में शामिल हैं:** 2+2 रक्षा एवं विदेश मंत्रियों का संवाद, संयुक्त व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रिस्तरीय आयोग, रक्षा नीति वार्ता, ऑस्ट्रेलिया–भारत शिक्षा परिषद, रक्षा सेवा स्टाफ वार्ता, ऊर्जा संवाद, विभिन्न विषयों पर संयुक्त कार्य समूह (JWGs) आदि।
- **द्विपक्षीय व्यापार**: वित्त वर्ष 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार 24.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा, जिसमें भारत का निर्यात 8.58 अरब अमेरिकी डॉलर तथा आयात 15.52 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत, ऑस्ट्रेलिया का आठवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि **ऑस्ट्रेलिया, भारत का चौदहवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है।
- व्यापार संबंधों को और गहरा करने के लिए अधिक व्यापक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर वार्ताएँ जारी हैं।
- **रक्षा एवं सुरक्षा**: 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (QSD) एक अनौपचारिक सामरिक मंच है, जिसमें चार देश—संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।
- दोनों देशों की नौसेनाओं ने 2021 में 'भारत–ऑस्ट्रेलिया नौसेना-से-नौसेना संबंध हेतु संयुक्त मार्गदर्शन' दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए।
- **रक्षा अभ्यास**: 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया और इस प्रकार भारत, अमेरिका तथा जापान के साथ इसमें शामिल हुआ।
- **AUSINDEX**: यह रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है।
- **पिच ब्लैक अभ्यास**: भारतीय वायुसेना ने 2018 में डार्विन में आयोजित पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लिया।
- **पारस्परिक रसद सहायता व्यवस्था तथा रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था, 2020:** यह समझौता जटिल सैन्य सहयोग तथा क्षेत्रीय आपदाओं के प्रति उत्कृष्ट सामूहिक प्रतिक्रिया क्षमता को सक्षम बनाता है।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज एवं प्रौद्योगिकी**: 2022 में ऑस्ट्रेलिया–भारत महत्त्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत 2023 के अंत में ऑस्ट्रेलिया–भारत महत्त्वपूर्ण खनिज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई।
- इस केंद्र का **उद्देश्य** सतत खनन एवं प्रसंस्करण में नवाचार को बढ़ावा देना है, जिसके लिए सहयोगात्मक अनुसंधान और छात्रवृत्तियों हेतु 50 लाख अमेरिकी डॉलर की सरकारी स्वीकृत निधि प्रदान की गई है।

- 2023 में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी व्यवस्था (MMPA) पर हस्ताक्षर किए।
- यह एक द्विपक्षीय रूपरेखा है, जो दोनों देशों के बीच प्रवासन और लोगों की आवाजाही को समर्थन देती है, साथ ही अवैध एवं अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों का समाधान भी करती है।
- **भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक सहभागिता हेतु नया रोडमैप**: ऑस्ट्रेलिया ने इसे 2025 में प्रारंभ किया, जिसमें रक्षा, खेल, संस्कृति, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहित लगभग 50 लक्षित अवसरों की पहचान की गई।
- **स्वच्छ ऊर्जा**: भारत के सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञता का उपयोग, जिसमें 2025 में भारत–ऑस्ट्रेलिया रूफटॉप सौर प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य 2,000 महिलाओं और युवाओं को सौर तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करना है।
- **शिक्षा एवं कौशल**: ज्ञान के आदान-प्रदान तथा कार्यबल विकास के लिए शैक्षणिक साझेदारियों और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।
- **कृषि व्यवसाय**: भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार हेतु कृषि व्यापार का विस्तार।
- **पर्यटन**: सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना तथा वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर जन-से-जन संबंधों को सुदृढ़ करना।

भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया का महत्त्व

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक साझेदार:** स्वतंत्र, मुक्त और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में ऑस्ट्रेलिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जो भारत के समुद्री एवं क्षेत्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है।

- **महत्त्वपूर्ण खनिजों एवं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत**: ऑस्ट्रेलिया लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earths), कोयला तथा द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति करता है, जिससे भारत की ऊर्जा एवं औद्योगिक सुरक्षा सुदृढ़ होती है।
- **व्यापार एवं आर्थिक साझेदार**: भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (ECTA), 2022 के अंतर्गत शुल्कों में कमी के साथ द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार हो रहा है तथा व्यापक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) की दिशा में वार्ताएँ जारी हैं।
- **शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र:** ऑस्ट्रेलिया भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रमुख गंतव्यों में से एक है, जहाँ STEM, नवाचार तथा योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है।
- **भू-राजनीतिक अभिसरण**

(Convergence): क्वाड (QUAD), हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन (IORA), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) तथा अन्य बहुपक्षीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग, भारत को अपनी साझेदारियों में विविधता लाने तथा क्षेत्र में चीन के प्रभाव का संतुलन करने में सहायता करता है।

चिंता के क्षेत्र

- **व्यापार असंतुलन एवं सीमित विविधीकरण**: ऑस्ट्रेलिया के संसाधन-प्रधान निर्यात की तुलना में भारत का निर्यात अभी भी सीमित है, जिससे लगातार व्यापार असंतुलन बना हुआ है तथा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर प्रगति धीमी है।
- **भारतीय प्रवासी एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ**: भारतीय विद्यार्थियों से जुड़ी कभी-कभार होने वाली घटनाएँ तथा सामुदायिक तनाव सुरक्षा और सामाजिक समावेशन को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं।
- **वीज़ा, गतिशीलता एवं कौशल मान्यता से जुड़े मुद्दे**: प्रगति के बावजूद कौशलों की पारस्परिक मान्यता, कार्य वीज़ा तथा भारतीय विद्यार्थियों के लिए अध्ययन उपरांत अवसरों से संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **कृषि बाज़ार तक पहुँच से जुड़े मुद्दे**: ऑस्ट्रेलिया के कठोर स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS) मानकों के कारण भारत को कृषि उत्पादों के निर्यात में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- **रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में धीमी प्रगति**: यद्यपि संयुक्त सैन्य अभ्यास मजबूत हैं, फिर भी रक्षा विनिर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सहयोग अभी पर्याप्त विकसित नहीं हो पाया है।

आगे की राह

- **सामरिक एवं रक्षा सहयोग को और गहरा बनाना**: समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान, संयुक्त रक्षा उत्पादन में सहयोग का विस्तार किया जाए तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड आधारित पहलों को और सुदृढ़ किया जाए।
- **CECA को शीघ्र अंतिम रूप देना तथा व्यापार में विविधता लाना**: व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) को अंतिम रूप दिया जाए तथा वस्तुओं, सेवाओं, महत्त्वपूर्ण खनिजों एवं डिजिटल व्यापार में विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
- **महत्त्वपूर्ण खनिजों एवं स्वच्छ ऊर्जा संबंधों को सुदृढ़ करना**: लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण किया जाए तथा हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाया जाए।

स्रोत: PIB

वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्तकर्ताओं में भारत 11वें स्थान पर पहुँचा

संदर्भ

- **संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD)** की **विश्व निवेश रिपोर्ट 2026** के अनुसार, भारत दो स्थान ऊपर चढ़कर वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का **11वाँ सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता** बन गया है। वर्ष 2025 में भारत में एफडीआई अंतर्वाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

भारत का एफडीआई प्रदर्शन

- वर्ष 2025 में भारत ने 38.89 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI आकर्षित किया, जो वर्ष 2024 के 27.09 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 44% की वृद्धि दर्शाता है।
- **भारत में ग्रीनफील्ड निवेश**: घोषित ग्रीनफील्ड निवेश का मूल्य वर्ष 2024 के 111.14 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2025 में 74.12 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया।
- हालांकि, वर्ष 2025 में भारत ने विश्व की सबसे बड़ी घोषित ग्रीनफील्ड निवेश परियोजना आकर्षित की।
- अमेरिका स्थित अल्फाबेट इंक. (Alphabet Inc.) ने भारत में 14.5 अरब अमेरिकी डॉलर के डेटा सेंटर में निवेश की घोषणा की, जो वैश्विक सूची में सबसे ऊपर रही।

भारत का बाह्य FDI

- भारत का बाह्य FDI वर्ष 2024 के 24.26 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025 में 35.66 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 47% की वृद्धि है।
- भारत ने प्रमुख निवेशक अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए FDI स्रोत देशों में वैश्विक स्तर पर 18वाँ स्थान प्राप्त किया।
- भारतीय कंपनियों द्वारा घोषित विदेशी ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ 41% बढ़कर 25.29 अरब अमेरिकी डॉलर हो गईं।
- राणा समूह ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 10 अरब अमेरिकी डॉलर की ऑटोमोबाइल विनिर्माण सुविधा की घोषणा की, जो विश्व की शीर्ष पाँच ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं में शामिल थी।

	Inward FDI		Outward FDI	
Year	Inflows ($ bn)	Rank*	Outlows (in $ bn)	Rank**
2021	44.8	8th	17.3	25th
2022	49.4	8th	14.6	23rd
2023	28.1	16th	13.9	23rd
2024	27.1	13th	24.3	20th
2025	38.9	11th	35.7	18th

*Among FDI destinations; **Among FDI home economies Source: Unctad

अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रवृत्तियाँ

- भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान तथा कमजोर निवेश भावना के कारण वैश्विक FDI प्रवाह असमान बना रहा।
- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में FDI अंतर्वाह में केवल 2% की वृद्धि हुई।

- विकासशील एशिया में 3% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख FDI गंतव्य:

- संयुक्त राज्य अमेरिका 2% की गिरावट के बावजूद 277 अरब अमेरिकी डॉलर के अंतर्वाह के साथ सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता बना रहा।
- चीन 104.66 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ चौथे स्थान पर बना रहा, हालांकि वर्ष 2024 के 116.24 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में उसका FDI अंतर्वाह घट गया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या है?

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से तात्पर्य उस निवेश से है, जो विदेशी संस्थाओं (व्यक्तियों या कंपनियों) द्वारा किसी अन्य देश के व्यावसायिक हितों में, सामान्यतः उद्यमों में स्वामित्व या नियंत्रण के रूप में किया जाता है।
- **वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में FDI प्रतिबंधित है—**
- लॉटरी,जुआ एवं सट्टेबाज़ी,चिट फंड,निधि कंपनी,रियल एस्टेट व्यवसाय,तंबाकू अथवा तंबाकू के विकल्पों से सिगार, चेरूट, सिगारिलो तथा सिगरेट का विनिर्माण।
- **शुद्ध एफडीआई (Net FDI):** यह देश में आने वाले विदेशी निवेश तथा विनिवेश एवं पूंजी की स्वदेश वापसी (Repatriation) के माध्यम से बाहर जाने वाली पूंजी के बीच का अंतर दर्शाता है।
- शुद्ध एफडीआई में कमी का यह अर्थ आवश्यक नहीं है कि निवेशकों की रुचि कम हुई है, क्योंकि सकल एफडीआई अंतर्वाह मजबूत बना रह सकता है।

भारत में FDI के मार्ग

- **स्वचालित मार्ग (Automatic Route):** यह वह प्रवेश मार्ग है, जिसके अंतर्गत निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अथवा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।
- विनिर्माण तथा सॉफ्टवेयर जैसे अधिकांश क्षेत्र इसी मार्ग के अंतर्गत आते हैं।
- **सरकारी स्वीकृति मार्ग (Government Approval Route):** यह वह प्रवेश मार्ग है, जिसके अंतर्गत निवेश के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है तथा इस मार्ग से प्राप्त विदेशी निवेश सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार होता है।
- दूरसंचार, मीडिया, औषधि तथा बीमा जैसे क्षेत्र इस मार्ग के अंतर्गत आते हैं।

वे क्षेत्र/गतिविधियाँ जिनमें FDI प्रतिबंधित है-

- **सरकारी/निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी** आदि सहित लॉटरी व्यवसाय।
- **जुआ एवं सट्टेबाज़ी**, जिनमें कैसीनो आदि शामिल हैं।
- **चिट फंड, निधि कंपनी**, तथा हस्तांतरणीय विकास अधिकार (TDRs) का व्यापार।
- **रियल एस्टेट व्यवसाय** अथवा फार्म हाउस का निर्माण।
- **'रियल एस्टेट व्यवसाय' में टाउनशिप का विकास**, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों अथवा पुलों का निर्माण तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के REIT विनियम, 2014 के अंतर्गत पंजीकृत एवं विनियमित रियल एस्टेट निवेश न्यास (REITs) शामिल नहीं हैं।
- **तंबाकू अथवा तंबाकू के विकल्पों से सिगार**, चेरूट, सिगारिलो तथा सिगरेट का विनिर्माण।

स्रोत: BS

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)

सन्दर्भ

- **कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)** छोटे किसानों, महिलाओं तथा वंचित वर्गों के लिए लक्षित मशीनीकरण सहायता के माध्यम से पूरे देश में कृषि मशीनीकरण की पहुँच का विस्तार कर रहा है।

परिचय

- **कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)** की **शुरुआत 2014–15** में की गई।

- यह **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)** के अंतर्गत एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- SMAM का **उद्देश्य "अवांछित तक पहुँच"** (Reach the Unreached) के सिद्धांत के तहत मशीनीकरण के लाभों को वंचित वर्गों तक पहुँचाना है।
- इसमें छोटे एवं सीमांत किसान, महिलाएँ, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), किसान उत्पादक संगठन (FPOs), स्वयं सहायता समूह (SHGs) तथा ग्रामीण उद्यमी शामिल हैं।
- यह योजना **कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs)** की स्थापना को बढ़ावा देती है।
- ये ऐसे केंद्र हैं **जहाँ कृषि मशीनें, कृषि उपकरण एवं यंत्र उपलब्ध होते हैं, जिन्हें किसान किराये पर ले सकते** हैं।

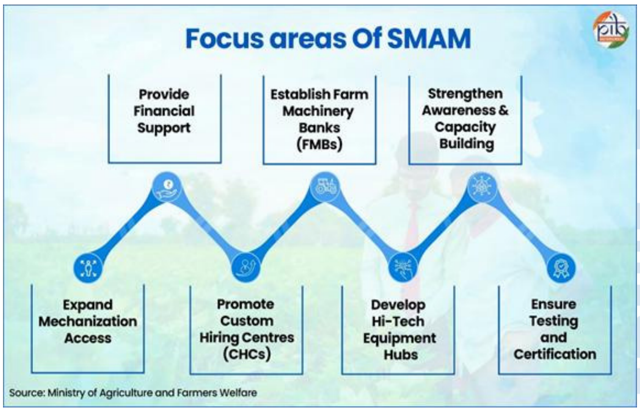

Source: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

भारत में कृषि मशीनीकरण की स्थिति

- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** के **2020–21** के अनुमान के अनुसार, देश में विभिन्न फसलों एवं कृषि कार्यों में मशीनीकरण का स्तर अलग-अलग है।

मशीनीकरण का स्तर:

- **सीडबेड (Seedbed) की तैयारी**: प्रमुख फसलों में अत्यधिक मशीनीकरण (70% से अधिक)।
- **कटाई एवं गहाई**: अधिकांश फसलों में सबसे कम मशीनीकरण (32% से कम), जबकि धान एवं गेहूँ इसके अपवाद हैं।
- **बुआई**: गेहूँ में सर्वाधिक मशीनीकरण (65%)।
- **रोपण/प्रत्यारोपण**: गन्ने में 20% तथा धान में 30% मशीनीकरण।
- **धान एवं गेहूँ की कटाई/गहाई**: 60% से अधिक मशीनीकरण, जबकि कपास में यह बहुत कम है।

राज्यों के अनुसार:

- तमिलनाडु, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मशीनों का व्यापक उपयोग होता है, लेकिन **खरपतवार नियंत्रण (Weeding) मशीनों को अपनाने में कमी** है।
- **सिंचाई प्रौद्योगिकियों का उपयोग गुजरात एवं तमिलनाडु** में अधिक है, जबकि अन्य राज्यों में अपेक्षाकृत कम है।
- **असम एवं ओडिशा में अधिकांश कृषि कार्य अभी भी हाथ** से किए जाते हैं।

विभिन्न देशों में कृषि मशीनीकरण का स्तर:

- संयुक्त राज्य अमेरिका – 95%
- पश्चिमी यूरोप – 95%
- सोवियत संघ – 80%
- ब्राज़ील – 75%
- अर्जेंटीना – 75%
- चीन – 40%
- भारत – 38%
- अफ्रीका – 20%

भारतीय कृषि में मशीनीकरण की आवश्यकता

- **श्रम की कमी**: वर्ष 2017 में कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या 145.66 मिलियन थी, जो महामारी के दौरान घटकर 143.4 मिलियन रह गई।
- ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन की प्रवृत्ति के कारण कृषि में श्रमिकों की कमी उत्पन्न हुई है।
- **मजदूरी में वृद्धि:** शहरीकरण तथा अवसंरचना विकास के कारण गैर-कृषि क्षेत्रों में श्रमिकों की बढ़ती मांग से मजदूरी बढ़ रही है।
- बढ़ती खाद्यान्न मांग को पूरा करने के लिए कृषि का मशीनीकरण आवश्यक है।
- **दक्षता में सुधार**: श्रम-प्रधान उत्पादन पद्धतियों में श्रम दक्षता बढ़ाने तथा कठिन परिश्रम को कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है।

- **भारत में अंतर:** भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर 40% है, जो चीन (59.5%), ब्राज़ील (75%) तथा अमेरिका (95%) की तुलना में कम है।
- कृषि क्षेत्र की निरंतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए इस अंतर को मशीनीकरण के माध्यम से कम करना आवश्यक है।

चुनौतियाँ

- **उच्च प्रारंभिक निवेश:** आधुनिक कृषि मशीनों की खरीद लागत अधिक होने के कारण छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए उन्हें खरीदना कठिन है।
- **वित्तीय सहायता तक सीमित पहुँच**: सरकारी योजनाओं के बावजूद अनेक किसानों को मशीनें खरीदने हेतु ऋण या अनुदान प्राप्त करने में कठिनाई होती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी बाधाएँ**: भारत की विविध भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है, जो हर क्षेत्र में उपलब्ध या उपयुक्त नहीं होतीं।
- **श्रम-प्रधान कृषि पद्धतियाँ**: अनेक किसान अभी भी पारंपरिक तरीकों के अभ्यस्त हैं तथा सांस्कृतिक कारणों या नई तकनीक के प्रति आशंका के कारण मशीनीकरण अपनाने में हिचकिचाते हैं।
- **अनियमित विद्युत आपूर्ति**: ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनियमित उपलब्धता विद्युत चालित कृषि मशीनों के उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है।
- **मौसमी मांग:** कुछ कृषि मशीनों की मांग केवल विशेष मौसम में होती है, जिससे मशीन मालिकों के लिए पूरे वर्ष उनका उपयोग सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है और निवेश पर कम प्रतिफल मिलता है।

सरकारी पहल

- **कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs)**: सरकार ऐसे केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, जहाँ किसान महँगी कृषि मशीनों को किराये पर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत किसानों पर लागत का बोझ कम होता है।
- **कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (FMTTIs):** ये संस्थान किसानों एवं तकनीशियनों को कृषि मशीनों के संचालन एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- ये कृषि मशीनों का परीक्षण एवं प्रमाणन भी करते हैं ताकि उनकी गुणवत्ता एवं प्रदर्शन मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)**: इस योजना में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई जैसी मशीनीकृत सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देने का प्रावधान है, जो जल संरक्षण एवं कृषि में जल के कुशल उपयोग में योगदान देती हैं।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)**: यह योजना कृषि विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कृषि मशीनीकरण सहित आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहयोग करती है।
- **नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा**: सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) जैसी संस्थाओं के माध्यम से कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करती है तथा कृषि मशीनों के नवाचार एवं स्वदेशी विकास का समर्थन करती है।

स्रोत: PIB

भारत का खिलौना पारितंत्र

सन्दर्भ

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि **भारत** उच्च गुणवत्ता मानकों, नीतिगत समर्थन, कौशल विकास तथा बेहतर बाज़ार पहुँच के माध्यम से **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खिलौना विनिर्माण पारितंत्र का निर्माण** कर रहा है।

भारत का खिलौना विनिर्माण पारितंत्र

- **वर्ष 2025–26 में भारत का खिलौना निर्यात 186 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक** पहुँच गया तथा भारतीय खिलौने अब 153 देशों में पहुँच रहे हैं।
- **वर्ष 2019 के बाद** से खिलौनों के आयात में **71% की कमी** आई है, जो गुणवत्ता-केंद्रित तथा आत्मनिर्भर विनिर्माण की सफलता को दर्शाती है।
- भारत का **खिलौना बाज़ार 2034 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने** का अनुमान है।
- खेल एवं **खिलौना क्षेत्र में रोजगार 2018–19 के 8,685 से बढ़कर 2023–24 में 17,693 हो गया**, अर्थात् इसमें दो गुना से अधिक वृद्धि हुई।

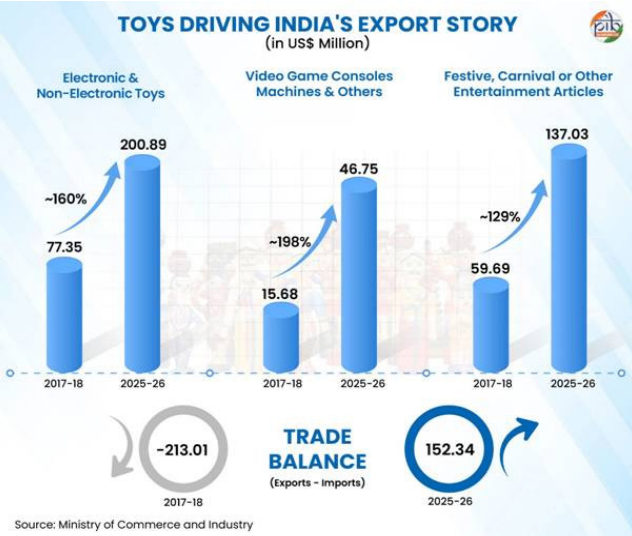

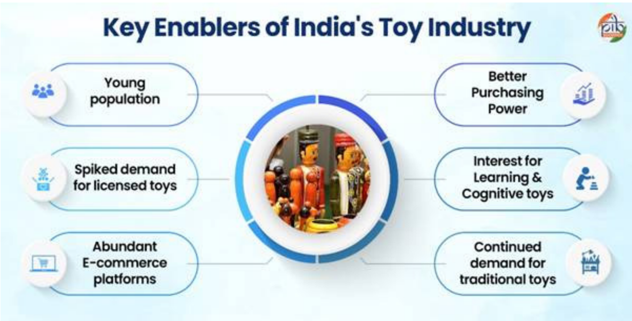

महत्व

- **आयात प्रतिस्थापन:** वर्ष 2018–19 के बाद से खिलौनों के आयात में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे भारत की उन चीनी निर्माताओं पर निर्भरता घटी है, जिनका पहले भारत के खिलौना बाज़ार में 80% से अधिक हिस्सा था।
- **निर्यात वृद्धि:** भारत कुछ क्षेत्रों में शुद्ध आयातक से प्रतिस्पर्धी निर्यातक के रूप में उभरा है।
- **रोजगार की संभावनाएँ:** यह श्रम-प्रधान क्षेत्र है, जो विशेषकर चन्नापटना (कर्नाटक) और कोंडापल्ली (आंध्र प्रदेश) जैसे पारंपरिक खिलौना निर्माण केंद्रों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है।
- **सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर में भूमिका:** भारतीय पौराणिक कथाओं, स्वतंत्रता संग्राम तथा पारंपरिक खेलों पर आधारित स्वदेशी खिलौने आर्थिक लाभ के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को भी सुदृढ़ करते हैं।
- **MSME आधारित विकास:** भारत की 90% से अधिक खिलौना विनिर्माण इकाइयाँ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र से संबंधित हैं, जिससे इस क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय खिलौना कार्ययोजना (National Action Plan for Toys - NAPT),** 2020: भारतीय मूल्यों, संस्कृति और इतिहास पर आधारित खिलौनों के डिज़ाइन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई।
- यह पहल खिलौनों की गुणवत्ता की निगरानी करती है तथा निम्न-स्तरीय एवं असुरक्षित खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाती है।
- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (2020):** निम्न-स्तरीय तथा असुरक्षित, विशेषकर चीन से आने वाले खिलौनों के आयात पर रोक लगाने के लिए खिलौनों हेतु भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का प्रमाणन अनिवार्य किया गया।
- **टॉय बिज़ इंटरनेशनल B2B प्रदर्शनी**: यह प्रदर्शनी खिलौना निर्माताओं को अपने उत्पाद घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के समक्ष प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करती है।
- **टॉयकैथॉन (Toycathon):** वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया। यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को समर्थन देता है तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, डिज़ाइनरों, विशेषज्ञों और स्टार्ट-अप्स द्वारा नवाचारी खिलौनों एवं खेलों के संयुक्त विकास को प्रोत्साहित करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक खिलौना क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 2025 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकाथॉन (e-Toycathon) का आयोजन भी किया।
- **ई-टॉयज़ लैब (e-Toys Lab)**: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सी-डैक (C-DAC), नोएडा में स्थापित यह प्रयोगशाला भारत के स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक खिलौना उद्योग को सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य रखती है।
- **मानक मंथन:** वर्ष 2026 में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मानक मंथन का आयोजन किया, जिसका केंद्रबिंदु खिलौनों की यांत्रिक एवं भौतिक सुरक्षा आवश्यकताएँ थीं। यह विभिन्न उद्योगों में भारतीय मानकों को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु BIS की एक पहल है।
- **एक जिला, एक उत्पाद (ODOP)**: इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों की

पहचान, ब्रांडिंग एवं प्रोत्साहन के माध्यम से जिला-विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना है।

- **भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त खिलौने**: भारत के अनेक पारंपरिक खिलौनों को उनकी विशिष्ट शिल्पकला एवं क्षेत्रीय पहचान के लिए GI दर्जा प्रदान किया गया है।
- GI टैग प्राप्त खिलौनों में **कर्नाटक के चन्नापटना खिलौने एवं गुड़िया, मध्य प्रदेश के इंदौर के चमड़े के खिलौने, तमिलनाडु की तंजावुर गुड़िया** आदि शामिल हैं।
- **GST में कमी**: खिलौनों पर GST को 12% से घटाकर 5% किए जाने से वे उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती और सुलभ हो गए हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA):** भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, ओमान, यूनाइटेड किंगडम तथा न्यूज़ीलैंड के साथ व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों के अंतर्गत भागीदार देश भारतीय खिलौनों के निर्यात के लिए शून्य-शुल्क बाज़ार पहुँच प्रदान करते हैं।

चुनौतियाँ

1. प्रौद्योगिकी अंतर

- अधिकांश खिलौना निर्माता अभी भी छोटे एवं पारंपरिक हैं तथा उनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के समान स्वचालन (Automation) और उन्नत डिज़ाइन क्षमता का अभाव है।

2. कच्चे माल पर निर्भरता

- खिलौना निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक घटक तथा विशेष प्रकार की सामग्री का बड़ा भाग अभी भी आयात किया जाता है।

3. अनुसंधान, विकास एवं डिज़ाइन नवाचार की कमजोरी

- खिलौना डिज़ाइन संस्थानों तथा नवाचार पारितंत्र की सीमित उपलब्धता के कारण इलेक्ट्रॉनिक एवं शैक्षिक खिलौनों जैसे उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति सीमित है।

4. छोटे उद्योगों पर अनुपालन का बोझ

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का अनिवार्य प्रमाणन छोटे कुटीर एवं हस्तशिल्प आधारित इकाइयों के लिए अनुपालन लागत बढ़ा देता है, जिससे उनके औपचारिक बाज़ार से बाहर होने का जोखिम रहता है।

5. पुनः मार्गित(Re-routed) आयातों से प्रतिस्पर्धा

- ऐसी रिपोर्टें हैं कि अधिक आयात शुल्क से बचने के लिए खिलौनों को गलत लेबलिंग अथवा तीसरे देशों के माध्यम से मार्ग परिवर्तित करके भारत में लाया जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

- भारत का खिलौना उद्योग अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक प्रगति के साथ सफलतापूर्वक जोड़ते हुए विनिर्माण, निर्यात और रोजगार का एक सशक्त क्षेत्र बनकर उभर रहा है।
- स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली रणनीतिक नीतिगत पहलों और विभिन्न कार्यक्रमों के समर्थन से यह क्षेत्र आयात-निर्भरता से आगे बढ़कर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की दिशा में अग्रसर हुआ है।

स्रोत: AIR

संक्षिप्त समाचार

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0

संदर्भ

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2025–26 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-S) तथा जिलों हेतु परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-D) की रिपोर्ट जारी की।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु प्रदर्शन श्रेणीकरण सूचकांक (PGI-S)

- पीजीआई-राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की संरचना में 70 संकेतकों पर आधारित **1,000 अंकों** का कुल भारांक है, जिन्हें **दो श्रेणियों**—परिणाम (Outcome) तथा शासन एवं प्रबंधन (Governance & Management)—में विभाजित किया गया है। इन श्रेणियों को **आगे 16 क्षेत्रों** में विभाजित किया गया है, जैसे—

- अधिगम परिणाम एवं गुणवत्ता,
- पहुँच,
- अवसंरचना एवं सुविधाएँ,
- समानता,
- शासन प्रक्रियाएँ, तथा
- शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण।

- यह रूपरेखा एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+), परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, पीएम पोषण पोर्टल, प्रबंध पोर्टल तथा विद्यांजलि पोर्टल के आँकड़ों के साथ पूर्णतः समन्वित है।

जिलों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स(PGI-D)

- PGI-D की रूपरेखा में **70 संकेतकों** पर आधारित **600 अंकों का कुल भारांक** है, जिन्हें **6 श्रेणियों** में विभाजित किया गया है—
- परिणाम,
- प्रभावी कक्षा शिक्षण,
- अवसंरचना, सुविधाएँ एवं विद्यार्थी अधिकार,
- विद्यालय सुरक्षा एवं बाल संरक्षण,
- डिजिटल अधिगम,
- शासन प्रक्रिया।

इन श्रेणियों को आगे 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है—

- अधिगम परिणाम एवं गुणवत्ता (LOQ),
- पहुँच परिणाम (AO),
- शिक्षक उपलब्धता एवं व्यावसायिक विकास परिणाम (TAPDO),
- अधिगम प्रबंधन (LM),
- अधिगम समृद्धि गतिविधियाँ (LEA),
- अवसंरचना, सुविधाएँ एवं विद्यार्थी अधिकार (IF&SE),
- विद्यालय सुरक्षा एवं बाल संरक्षण (SS&CP),
- डिजिटल अधिगम (DL),
- निधियों का अभिसरण एवं उपयोग (FCU),
- उपस्थिति निगरानी प्रणाली (AMS), तथा
- विद्यालय नेतृत्व विकास (SLD)।
- PGI-D के आँकड़े UDISE+, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 (PRS 2024) तथा प्रबंध पोर्टल से प्राप्त किए जाते हैं।

स्रोत: PIB

हम्मस ट्रेल(Hummus Trail)

सन्दर्भ

- एक अधिकार संगठन ने **'हम्मस ट्रेल' पर देखे गए एक इज़रायली सैनिक के विरुद्ध भारत में 'युद्ध अपराध' की शिकायत** दर्ज कराई है।

परिचय

- **हम्मस ट्रेल** भारत के उन स्थलों के अनौपचारिक नेटवर्क को कहा जाता है, जो विशेष रूप से युवा इज़रायली यात्रियों के बीच लोकप्रिय हैं।
- इन स्थानों पर **प्रायः हिब्रू भाषा के साइनबोर्ड, इज़रायली कैफ़े, चाबाद हाउस तथा छात्रावास होते हैं, जो आगंतुकों के लिए परिचित वातावरण** प्रदान करते हैं।

पृष्ठभूमि

- प्रत्येक वर्ष लगभग **80,000 इज़रायली** भारत आते हैं, जिनमें से अधिकांश अपनी **अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी** करने के बाद यात्रा करते हैं।
- सैन्य सेवा के बाद की यह लंबी यात्रा **'तिउल गाडोल (Tiul Gadol)' या 'द बिग ट्रिप'** कहलाती है, जो सामान्यतः **6–12 माह** तक चलती है और इसे एक सांस्कृतिक परंपरा माना जाता है।
- **वर्ष 2026** में इज़रायल ने भारत के साथ पर्यटन सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए **40 लाख NIS** आवंटित किए।

कानूनी पक्ष

- भारत **चौथे जिनेवा अभिसमय का पक्षकार** है।
- **जिनेवा अभिसमय अधिनियम, 1960** के अंतर्गत भारतीय न्यायालय जिनेवा अभिसमयों के गंभीर उल्लंघन के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, यदि वे भारत में पाए जाते हैं, चाहे कथित अपराध कहीं भी हुआ हो।

प्रमुख विशेषताएँ

- इसके प्रमुख गंतव्यों में **कसोल, ओल्ड मनाली, धर्मकोट, पुष्कर, गोवा, हम्पी, केरल** तथा **अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** शामिल हैं।
- अनेक यात्री सैन्य सेवा के बाद विश्राम एवं **पुनर्वास**, विशेषकर युद्ध-संबंधी तनाव से उबरने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं।
- कुछ स्थानों पर **रेव पार्टियों, मादक पदार्थों के दुरुपयोग तथा नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों** को लेकर भी चिंताएँ सामने आई हैं, जिसके कारण अधिकारियों द्वारा निगरानी बढ़ाई गई है।

स्रोत: IE

गुवाहाटी घोषणा

समाचारों में क्यों ?

- हाल ही में ब्रिक्स (BRICS) देशों ने गुवाहाटी घोषणा को अपनाया।

परिचय

- इस घोषणा में **अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान** किया गया है।
- इसमें कृत्रिम मादक पदार्थों तथा नए मनःप्रभावी पदार्थों (NPS) के प्रसार, उभरती प्रौद्योगिकियों एवं डिजिटल मंचों के दुरुपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों द्वारा समुद्री मार्गों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गई।
- गुवाहाटी बैठक में **ब्राज़ील, चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस तथा संयुक्त अरब अमीरात** ने भाग लिया।

स्रोत: TH

भूल जाने का अधिकार क्या है?

समाचारों में क्यों ?

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने **भूल जाने के अधिकार से संबंधित सिद्धांत** निर्धारित किए हैं।

समाचार के बारे में

- **लक्ष्य वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ मामले** में न्यायालय ने कहा कि भूल जाने का अधिकार **अनुच्छेद 21** द्वारा प्रदत्त गरिमा एवं सूचना संबंधी निजता के अधिकार से उत्पन्न होता है।
- उच्च न्यायालय ने **के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुसरण किया, जिसमें **अनुच्छेद 21** के अंतर्गत निजता के अधिकार, जिसमें सूचना संबंधी निजता भी शामिल है, को मौलिक अधिकार माना गया था।
- न्यायालय ने कहा कि **संरचित आनुपातिकता परीक्षण** के अनुसार सूचना को बनाए रखने का वैध उद्देश्य होना चाहिए तथा निजता को होने वाली हानि और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

'भूल जाने का अधिकार' क्या है?

- भूल जाने का अधिकार वह अधिकार है, जिसके अंतर्गत **किसी व्यक्ति से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक डिजिटल वातावरण से हटाया या खोज परिणामों (De-indexing) से बाहर** किया जा सकता है, यदि उसकी निरंतर उपलब्धता हानिकारक हो तथा उससे कोई सार्वजनिक हित न जुड़ा हो।
- यह अवधारणा **2014** में प्रमुखता से सामने आई, जब **स्पेन के नागरिक मारियो कोस्टेजा गोंज़ालेज़ ने यूरोपीय न्यायालय में शिकायत की कि ऋण चुकाने के बाद भी गूगल उनके घर की नीलामी से संबंधित पुराने समाचार को प्रदर्शित** कर रहा था।
- न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया, जिससे मिटाने के अधिकार (Right to Erasure) की नींव पड़ी, जिसे बाद में **यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR)** के **अनुच्छेद 17** में शामिल किया गया।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- खोज परिणामों से जानकारी हटाने (De-indexing) से केवल खोज स्तर पर लाभ मिलता है, लेकिन इससे प्रतिलिपियाँ (Mirrors), अभिलेखीय प्रतियाँ (Archive Copies) अथवा सामाजिक माध्यमों पर साझा की गई सामग्री नहीं हटती।
- प्रभावी तकनीकी अनुपालन तथा विभिन्न मंचों के बीच समन्वय के अभाव में यह अधिकार काफी हद तक केवल प्रतीकात्मक बनकर रह सकता है।

स्रोत: TH

पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR)

सन्दर्भ

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (**DRDO**) ने **ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण क्षेत्र (ITR) में पिनाका दीर्घ दूरी निर्देशित रॉकेट (LRGR) का सफल उड़ान परीक्षण** किया।

पिनाका का परिचय

- **पिनाका** एक स्वदेशी मल्टीबैरल रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली (MBRL) है, जिसका नाम भगवान शिव के पौराणिक धनुष 'पिनाक' पर रखा गया है।
- इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (**DRDO**) ने रूसी मूल की ग्रैड रॉकेट प्रणाली के विकल्प के रूप में विकसित किया।
- इस प्रणाली का पहली बार कारगिल युद्ध (1999) के दौरान परिचालन उपयोग किया गया।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह सभी मौसमों में कार्य करने वाली तोपखाना रॉकेट प्रणाली है, जिसकी मारक क्षमता लगभग **120 किलोमीटर** है तथा यह केवल 44 सेकंड में **12 रॉकेटों** की एक साथ बौछार कर सकती है।
- इसमें **शूट एंड स्कूट (Shoot-and-Scoot)** क्षमता है, जिससे प्रक्षेपण के बाद यह शीघ्र स्थान बदल सकती है और शत्रु के जवाबी हमलों से बच सकती है।

क्या आप जानते हैं ?

- पिनाका ने निर्यात के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। **आर्मेनिया** इसका पहला विदेशी ग्राहक बना है, जबकि कई अन्य देशों ने भी इस प्रणाली को खरीदने में रुचि व्यक्त की है।

स्रोत: DDNews

अस्त्र मिसाइल

सन्दर्भ

- **इंडोनेशिया** भारत की अस्त्र मिसाइलों के आयात हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया।
- इन मिसाइलों को **इंडोनेशिया के Su-30 लड़ाकू विमानों** में लगाया जाएगा।

अस्त्र मिसाइल का परिचय

- **विकासकर्ता**: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
- **प्रकार**: उन्नत दृश्य सीमा से परे एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM)
- **मारक क्षमता**: 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम।
- **विशेषताएँ:**
  - उच्च सटीकता के लिए उन्नत मार्गदर्शन एवं नेविगेशन प्रणाली।
  - सभी मौसमों तथा दिन-रात संचालन की क्षमता।
  - **अधिकतम गति**: मैक 4 से अधिक।
  - **परिचालन ऊँचाई**: 20 किलोमीटर तक।
- **महत्व:**भारत की स्वदेशी वायु युद्ध क्षमता को सुदृढ़ करती है तथा **रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत** के लक्ष्य के अनुरूप है।

स्रोत: IE

डूरंड कप

सन्दर्भ

- भारत की राष्ट्रपति ने डूरंड कप प्रतियोगिता 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया तथा उन्हें औपचारिक रूप से रवाना किया।

डूरंड कप का परिचय

- **1888 में स्थापित** डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना तथा विश्व का तीसरा सबसे पुराना **फुटबॉल टूर्नामेंट** है।
- इसका आयोजन **तीनों सेनाओं की ओर से भारतीय सेना द्वारा** किया जाता है।
- इसका **पहला संस्करण 1888 में शिमला** में आयोजित किया गया था। बाद में **1940** में यह प्रतियोगिता **नई दिल्ली** स्थानांतरित कर दी गई।

प्रतियोगिता के विजेताओं को तीन ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं—

- **डूरंड कप** ,
- **शिमला ट्रॉफी**, तथा
- **राष्ट्रपति कप**, जिसे प्रत्येक वर्ष नए सिरे से तैयार किया जाता है और **स्थायी स्मृति-चिह्न** के रूप में प्रदान किया जाता है।

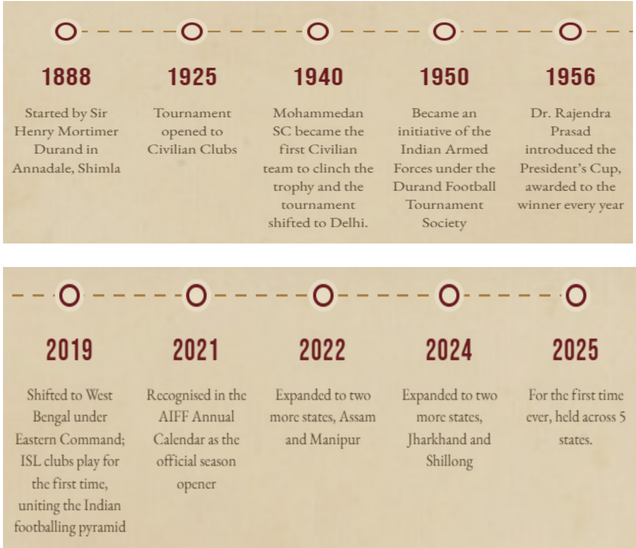

स्रोत: PIB